



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रू0वि0/सम्बद्धता/2017/ 1354-1364

दिनांक: 11.05.2017

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
पी0जी0आई0 ऑफ मैनेजमेंट,
बरेली।

विषय: पी0जी0आई0 ऑफ मैनेजमेंट, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 (02 यूनिट 100 सीट) पाठ्यक्रम में अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 11.05.2017 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था पी0जी0आई0 ऑफ मैनेजमेंट, बरेली को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 (02 यूनिट 100 सीट) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रेतर सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों/कमियों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय,

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. उप कुलसचिव (परीक्षा)/उप कुलसचिव(गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
09. समन्वयक, बी0एड0 प्रवेश सेल।
10. मुख्य समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2017-19, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव